संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग
विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल, म.प्र.

क्रमांक/आईसीडीएस/2020/4354 भोपाल, दिनांक– 14.3.2020

प्रति,

कलेक्टर,
जिला समस्त,
मध्यप्रदेश

विषयः– नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आंगनवाड़ी केन्द्र संचालन के संबधं में।

उपरोक्त विषयांतर्गत राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :–

1/ नोवल कोरोना वायरस (कोविड–19) से संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्र तथा मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को 31 मार्च 2020 तक के लिये तत्काल प्रभाव से बंद रखा जावे।

2/ वर्तमान में शालाओं का संचालन स्थगित होने के कारण सांझा चूल्हा कार्यक्रम अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों में नाश्ता एवं भोजन प्रदाय प्रभावित होने से आंगनवाड़ी केन्द्र में दर्ज 03 से 06 वर्ष के बच्चों को भी आंगनवाड़ी के अन्य हितग्राहियों के साथ टेक होम राशन प्रदाय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3/ बच्चों के वजन एवं उंचाई मापने की कार्यवाही गृह-भेट के दौरान की जाय। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी स्वच्छता/सतर्कता निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

4/ "आंगन कार्यक्रम"/डे–केयर सेंटर का क्रियान्वयन आगामी आदेश तक स्थगित रखा जावे। पोषण पखवाड़ा के कार्यक्रमों में जन सहभागिता सीमित रखी जाये तथा पखवाड़ा की शेष गतिविधियों का यथावत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(नरेश पाल कुमार)
आयुक्त
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/आईसीडीएस/2020/4355 भोपाल, दिनांक– 14.3.2020

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश
3. संभागीय आयुक्त, संभाग– समस्त, मध्यप्रदेश
4. संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास, संभाग– समस्त, मध्यप्रदेश
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला–समस्त, मध्यप्रदेश
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, परियोजना–समस्त, जिला–समस्त, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश

Scanned with CamScanner